तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
15.12.20	उक्त का स्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 24.12.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी मांडल	
24.12.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 19.1.21 को पेश हो।	
19.1.21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। पटवार हल्का लेसवा पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या – 139/20 प्रा०पत्र
1– श्री गंगर सिंह S/o श्री नाहर सिंह राजपूत निवासी- लेसवा, तहसील-माण्डल

—प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती पारस देवी w/o श्री गणपत लाल चौबेत निवासी- बागौर तहसील- माण्डल [वगैरा]
(संलंकित प्राप्त्र संलग्न)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 19.01.2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम .... लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2743/1900 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा......... 19 .....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आय दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.08.20 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल मे उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2743/1900 .... कुल किता 01 रकबा 02 बीघा 19 ....बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की ... हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख ... लेसवा ... को 300/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। ... प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान ... कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। ... खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी